प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक – 19.03.2026

नशीले कफ सिरप तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार

शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स रांची झारखण्ड से बांग्लादेश तक तस्करी के नेटवर्क का सोनभद्र एसआईटी टीम ने किया पर्दाफाश, तस्करी गैंग का हैंडलर हावड़ा (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मादक एवं नशीले कफ सिरप की तस्करी की रोकथाम तथा अपराधियों/तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस (एसआईटी टीम) द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1191/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 21(C), 27-ए, 29 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद निवासी ए-9/24-J, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी व अन्य तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में सोनभद्र पुलिस की एसआईटी टीम द्वारा अभियुक्त जुबेर हुसैन शेख पुत्र हुसैन शेख निवासी प्लाट नं0 276 व 03, गट नं0 4, पटेल नगर, चिकलथाना, थाना चिकलथाना, जनपद औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को दिनांक 16.03.2026 को थाना क्षेत्र लिलुआ, हावड़ा सिटी (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाकर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के विवरण :- अभियुक्त जुबेर हुसैन शेख ने पूछताछ में बताया कि वह शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स, रांची से फेंसाडील कफ सिरप की तस्करी बंग्लादेश तक कराता था। उक्त नशीले कफ सिरप को ट्रकों के माध्यम से अपने ड्राइवरों द्वारा बिहार के पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी व कूंचबिहार बॉर्डर तक भेजवाता था, **जहां से उक्त ट्रकों को बांग्ला भाषी चालकों द्वारा बांग्लादेश तक ले जाया जाता था। इस तस्करी के गैंग में अधिकतर लोग बांग्ला भाषी है, क्योंकि बांग्लादेश तक इस नशीले कफ सीरप फेंसाडील की तस्करी के गैंग द्वारा काम करने में बांग्ला भाषियों के सम्मिलित होने से आसानी रहती है।**

उसने बताया कि पूर्णिया (बिहार) के थाना मारंगा, वायसी व सरसी क्षेत्र में उसके गैंग में कार्यरत ड्राइवर—अमीन, फिरोज, सुमेर शेख, (निवासी औरंगाबाद, महाराष्ट्र), आदिल (निवासी उत्तर प्रदेश) एवं वसिम को रांची में कफ सिरप तस्करी के दौरान ट्रक सहित पकड़ा जा चुका है जो वर्तमान में पूर्णिया एवं रांची जेल में निरुद्ध हैं, जिनमें से एक अभियुक्त सुमेर शेख की जमानत तस्करी गिरोह द्वारा कराई गई है।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि तस्करी गिरोह सुनियोजित तरीके से कार्य करता है, जिसमें ड्राइवरों को निर्देश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में वे गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी व सही नाम पता पुलिस को नहीं बताएंगे। इसके बदले गिरोह द्वारा उनके परिवारों की आर्थिक सहायता एवं जमानत हेतु कानूनी मदद सुनिश्चित की जाती है।

इसी क्रम में दिनांक 15.03.2026 को हावड़ा के निकट कल्याणी एक्सप्रेसवे स्थित एक होटल में गिरोह के सदस्यों के साथ बैठक निर्धारित थी, जिसमें तस्करी के दौरान पकड़े गए ड्राइवरों के परिवारों को आर्थिक सहायता (ईद के अवसर पर) देने हेतु लगभग ₹1,00,000/- की धनराशि प्राप्त होनी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जुबेर हुसैन शेख पुत्र हुसैन शेख निवासी प्लाट नं0 276 व 03 गट नं0 4 पटेल नगर चिकलथाना थाना चिकलथाना जनपद औरंगाबाद (महाराष्ट्र) उम्र लगभग 42 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-1191/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 21(C), 27-ए, 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
02. मु0अ0सं0- 164/25 धारा 8सी, 21सी, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट थाना मारंगा जनपद पूर्णिया बिहार।
03. मु0अ0सं0- 240/25 धारा 8सी, 25(2) एनडीपीएस एक्ट थाना वायसी जनपद पूर्णिया बिहार।
04. मु0अ0सं0- 133/25 धारा 8सी, 21सी, 25, 29 एनडीपीएस थाना सरसी जनपद पूर्णिया बिहार।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. निरीक्षक सदानन्द राय प्रभारी निरीक्षक ओबरा जनपद सोनभद्र (एसआईटी सोनभद्र)।
02. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सुकृत जनपद सोनभद्र (एसआईटी सोनभद्र)।
03. मु0आ0 प्रकाश सिंह सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र। (एसआईटी सोनभद्र)।
04. मु0आ0 मनीष सिंह एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।